वर्ष – 1 | अंक – 2 | 08 November 2020

E-News Letter
रतलाम
नगर पालिक निगम, रतलाम

आकर्षक रांगोली निर्माण ने रतलाम को प्रदेश और देश में दिलाई अलग पहचान

क्लीन सिटी, ग्रीन सिटी, यही हमारी है ड्रीम सिटी

स्वच्छ वातावरण में रहने से मन में अच्छे विचार और स्वभाव बेहतर रहता है, जबकि हमारे आसपास होने वाली गंदगी से हमारीआत्मा भी मलिन होती है और आत्मा के मलिन होने से सिर्फ नकारात्मकता के भावही आते है ।ऐसे में हमे अपने घरों से निकला कचराअलग–अलग डस्टबीनों में एकत्र करना है और इसका निपटान कचरा संग्रहण वाहन में करना है ।इससे लोगों के घर के साथ ही उनके आसपास का वातावरण भी स्वच्छ और सुंदर बना रहेगा ।रविवार को महलवाड़ा और हनुमान ताल सहित शहर आधा दर्जनइलाकों मेरांगोली निर्माण कर दीपदान करते हुए अनेक लोगों का यही संदेश सफाई मित्र समूह के सदस्यों ने दिया है।

सफाई मित्र समूह रांगोली के माध्यम से दिया स्वच्छता संदेश

नगर निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया के निर्देश और स्वास्थ्य अधिकारी एपीसिंह के मार्ग दर्शन में शहर की सडक हो या कालोनी, मोहल्ले के नुक्कड़ और चौराहे हो, सार्वजनिक स्थलों तालाब हो या नाले हो हर तरफ सफाई रखने का प्रयास नगर निगम प्रशासन कर ही रहा है, और अब नागरिक भी इस और ध्यान देकर रतलाम नगर को स्वच्छता की दौड़ में **नम्बर–1** बनाने का प्रयास शुरु कर चुकें है।

E-News Letter
रतलाम
नगर पालिका निगम

रांगोली के साथ स्वच्छता का संदेश सकारात्मक भाव जागृत कर रहे है- कलेक्टर

खुले में कचरा डालने वालों को रोकने के लिए नगर निगम की और से अनोखा प्रयोग किए जा रहा है। नगर निगम ने शहर के ऐसे कचरा प्वाइंट खत्म किए है, जहां पर लोग खुले में कचरा फेंकते है। इन प्वाइंटों को खत्म कर नगर निगम द्वारा वहां पर स्वच्छता का संदेश देने वाली **रंगोली** बनाई है। ताकि खुले में कचरा डालने वाले यह संदेश देख यहां पर कूड़ा न डाले। निगम की इस पहल को बुध्दिजीवियों ने भी सराहा है और उनका मानना है कि जहां कचरा स्थल हटाए गए है

वहां **दौबारा गंदगी** न हो इसके लिए नागरिकों को भी आगे आना होगा। नगर निगम आयुक्त **श्री सोमनाथ झारिया** के निर्देश व स्वास्थ्य अधिकारी एपी सिंह ने शहरवासियों से अपील की है कि वे अपने कूड़ा केवल डोर टू डोर कूड़ा ढोने वाले वाहनों में ही डाले। खुले में कचरा डालने वालों पर नगर निगम द्वारा जुर्माने की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है।

स्वच्छता हमे साफ पर्यावरण, स्वच्छ वातावरण और शुध्द वायु प्रदान करती है।

रतलाम नगर निगम आयुक्त श्री झारिया द्वारा दिये गये निर्देशानुसार अन्य जल स्त्रोत हैण्ड पम्प, नलकूप आदि के आसपास सफाई करवाकर रांगोली बनाये जाने का कार्य निगम के जलप्रदाय विभाग द्वारा **01 नवम्बर** से प्रारंभ कर दिया गया हजिसके तहत दीनदयाल नगर ई सेक्टर में भेरूजी के मंदिर के पास व एच सेक्टर में लॉण्ड्री की दुकान के पास वाले नलकूप के आसपास निगम कर्मचारियों ने रांगोली बनाकर नागरिकों को स्वच्छता बनाये रखने का संदेश दिया गया।

सफाई मित्र समूह ने कुंए–

बावडियों के समीप रांगोली बना कर दिया स्वच्छता का संदेश स्वच्छता बनाये रखने हेतु नलकूपों पर भी बनाई रांगोली द्य किसी समय शहर सीमा में अनेक कुंए–बावडियां हुआ करते थे जिनके माध्यम से लोग अपनी जरुरत के हिसाब से पानी की पूर्ति किया करते थे, मगर आज ये प्राचीन जल स्त्रोत नष्ट होते जा रहे है या लोगों ने इन्हे कचरा स्थल बना रखा है। नगर निगम ने स्वच्छ शहर–सुंदर शहर अभियान के तहत ऐसे ही कुंए और बावडियों को भी गंदगी से मुक्त करने का प्रयास शुरु किया है।

कचरा पांईटों पर गंदगी न हो, इसके लिए आगे आए जनता कचरा स्थल खत्म कर नगर निगम ने बनवा रहा है रंगोली, स्वच्छता का दिया जा रहा है जैस भोजन ,पानी अहक्सीजन और अन्य चीजें हमारे अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण है वैसे ही हमारे सस्वस्थ शारीरिक और मानसिक सेहत के लिए स्वच्छता भी महत्वपूर्ण है।

रंगोली में स्वच्छ रतलाम, सुंदर रतलाम, एक कदम स्वच्छता की ओर, स्वच्छता अपनाओं, अपने रतलाम को सुंदर बनाओं, विकसित शहर की हो कल्पना, अब हमें है स्वच्छ बनना, घर–समाज को रखो साफ, भविष्य नहीं करेगा वरना माफ, तभी आएगा नया सवेरा, जब होगा साफ–सुथरा शहर हमारा आदि स्लोगन बनाकर शहरवासियों को स्वच्छता का संदेश दिया गया।

स्वच्छता दर्शाती है कि हम अपने जीवन में अनुशासित है

स्वच्छ,स्वस्थ और सुंदर शहर की परिकल्पना तभी की जा सकती है जब सब मिलकर इसमें सहयोग करें जिससे शहर, गलियां, नालियां साफ–सुधरी की जा सकें जिससे बीमारी फैलने का खतरा कम हो और गंदगी की वजह से फैलने वाली बीमारियां जैसे डेंगू, मलेरिया, डायरिया, महामारी समेत कई बीमारियों से बचा जा सके।

मुख्यमंत्री ने कहा कि रांगोली निर्माण सहित रचनात्मक कार्यक्रमों के माध्यम से प्रत्येक नागरिक जुड़ेगा और स्वच्छता को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाया जायेगा ।

स्वस्थ, सुखी और शांतिपूर्ण जीवन जीने के लिए हम सभी को जीवन के हर पहलू में स्वच्छ आदतों का अभ्यास करना चाहिए

स्वच्छता सिर्फ हमारे लिए ही महत्वपूर्ण नही है अपितु हमारे आस–पास रहने वाले व्यक्ति, पशु–पक्षी, जानवरों के लिए भी महत्वपूर्ण है।

नगर निगम द्वारा स्वच्छंद विचरण करने वाले मवेशियों को पकड़कर गौशालाओं में भेजा जा रहा है,

नगर को साफ–स्वच्छ व सुन्दर बनाने हेतु नगर निगम द्वारा सार्वजनिक स्थानो, सड़को, चौराहों पर स्वच्छंद विचरण करने वाले मवेशियों को पकड़कर गौशालाओं में भेजा जा रहा है कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री गोपालचन्द्र डाड व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार स्वास्थ्य अमले द्वारा अभियान चलाया गया तथा शहर के विभिन्न क्षेत्रों स मवेशियों को पकड़ा जाकर जिले की विभिन्न गौशालाओं में भेजा गया। शहर के सार्वजनिक स्थानों, सड़को चौराहो को मवेशी मुक्त बनाये जाने हेतु नगर निगम द्वारा शहर के मवेशी पालकों के बाड़े एवं तबेलो को अभियान चलाकर तोड़ा जायेगा।

मवेशी पालकों को नोटिस जारी, तबेले व बाड़ो को शीघ्र तोड़ा जायेगा

नगर निगम एक्ट की धारा 358 के तहत कोई भी व्यक्ति जो कि अपना घोड़ा या अन्य किसी भी पशु को अपनी इच्छा से खुला छोडेगा व उससे किसी व्यक्ति या संपत्ति को नुकसान पंहूचता है तो पालक पर 500 रूपये का अर्थदण्ड किये जाने का प्रावधान हैं। निगम एक्ट के तहत अब स्वच्छंद विचरण करने वाले मवेशी पालकों के घर जाकर निगम दस्ता अर्थदण्ड राशि रूपये 500/– वसूल करेगा साथ ही संबंधित मवेशी पालक के भवन निर्माण अनुमति की जांच की जावेगी तथा अनुमति के बगैर बने तबेले या बाड़े को तोड़ दिया जावेगा। निगम द्वारा यह अभियान निरंतर जारी रखा जायेगा।

E-News Letter
रतलाम
नगर पालिका निगम

स्वच्छंद रूप से विचरण करने वाले मवेशियों को पकड़ने की कार्यवाही प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी श्री ए0पी0 सिंह, झोन प्रभारी श्री किरण चौहान, श्री पर्वत हाड़े व स्वास्थ्य विभाग के अमले द्वारा की गई।

मवेशियों को पकड़ने की कार्यवाही

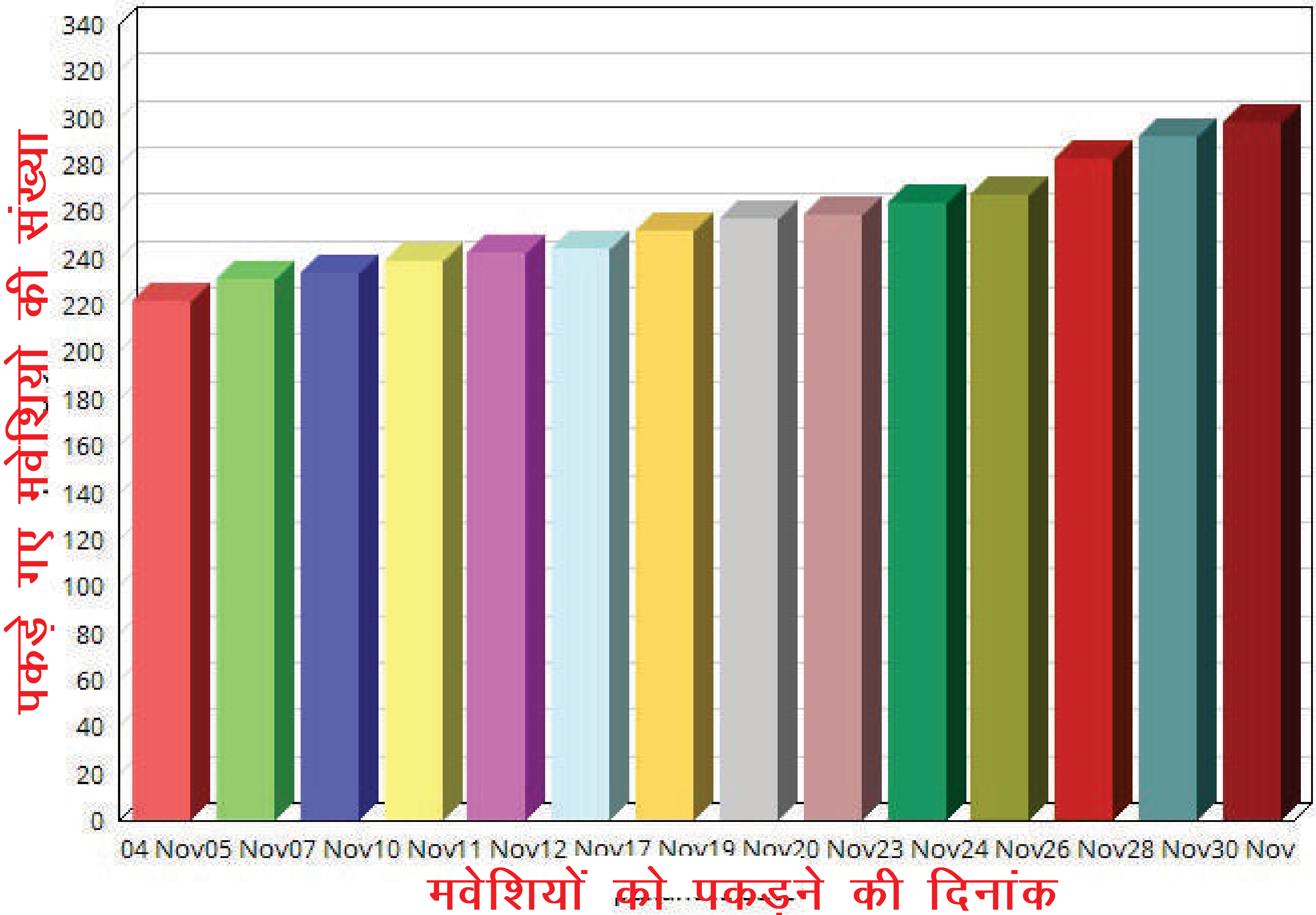

गणेश देवरी चौराहा पर हाई मास्ट का शुभारंभ

भाजपा जिला महामंत्री मनोहर पोरवाल की उपस्थिति में मंडल अध्यक्ष जयवंत कोठारी एवं निलेश गांधी ने गणेश देवरी चौराहा पर हाईमास्ट का शुभारंभ किया। इससे क्षेत्र में प्रकाश ही प्रकाश फैल गया।क्षेत्रवासियों एवं पूर्व पार्षदगण ने क्षेत्र को यह सौगात दिलाने पर विधायक चेतन्य काश्यप का आभार जताया है।

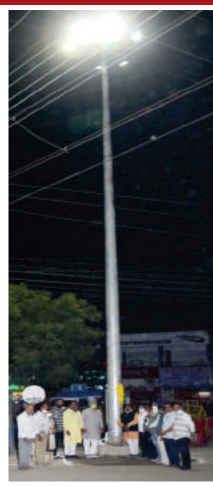

शहर की जलप्रदाय व्यवस्था को निरंतर बनाये रखने तथा जलप्रदाय व्यवस्था को ओर अधिक सुदृढ़ बनाये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार पाईप लाईन व वॉल्व लीकेज दुरस्त करने का कार्य जलप्रदाय विभाग द्वारा किया जा रहा है जिसके तहत 31 अक्टूबर शनिवार को 1 वॉल्व व 2 पाईप लाईन लीकेज को दुरस्त करवाया गया।''रतलाम जलशक्ति अभियान'' व्हाट्स एप ग्रुप में लीकेज की समस्या को अपलोड किया जा रहा है तथा अपलोड़ की गई लीकेज संबंधी समस्या का तत्काल निराकरण करवाया जा रहा है

01 नवम्बर रविवार को व्हाट्स एप ग्रुप में दर्ज संत नगर में सप्लाय की मुख्य पाईप लाईन के वॉल्व, फुलमण्डी व कल्याण नगर में पाईप लाईन लीकेज का कार्य करवाया गया।

02 नवम्बर सोमवार को 1 वॉल्व व 12 पाईप लाईन लीकेज को दुरस्त करवाया गया।

03 नवम्बर मंगलवार को व्हाट्स एप ग्रुप में दर्जजवाहर नगर लोहे की पुल के पास, जवाहर नगर अम्बे माता मंदिर के पास, बाजना बस स्टेण्ड, बाजना बस स्टैण्ड जैन स्कूल के पीछे, काटजू नगर, ईदगाह रोड भेरूजी के मंदिर के पास, मिल्लत नगर, एकता नगर, समता सिटी टंकी के नीचे, ऊंकाला रोड, थावरिया बाजार टंकी व चौमुखी पुल पर पाईप लाईन लीकेज व षहर सराय में वॉल्व मरम्मत का कार्य करवाया गया।

04 नवम्बर बुधवार को व्हाट्स एप ग्रुप में दर्ज शक्ति नगर, तेजा नगर मुख्य मार्ग, राजेन्द्र नगर गैस गोडाउन के सामने, कस्तुरबा नगर जैन मंदिर के पास, गौशाला मुख्य द्वार के सामने, रेहमत नगर, समता नगर, शैरानी पुरा, रत्नेश्वर रोड पर पाईप लाईन लीकेज दुरस्त करवाया गया तथा अलकापुरी टंकी, हरमाला पम्प हाउस के पास, गौशाला रोड भेरूजी के मंदिर के पास, शैरानी पुरा में वॉल्व मरम्मत का कार्य करवाया गया।

06 नवम्बर शुक्रवार को 8 पाईप लाईन लीकेज को दुरस्त करवाया गया।

06 नवम्बर शुक्रवार को व्हाट्स एप ग्रुप में दर्ज सनसिटी कालोनी, दीनदयाल नगर थाने के सामने, भगतसिंह कालोनी, शक्ति नगर, महावीर नगर टंकी भरने वाली लाईन, शास्त्री नगर में पाईप लाईन लीकेज का कार्य कार्य करवाया गया।

07 नवम्बर को 3 वॉल्व, 8 पाईप लाईन लीकेज व 1 हैण्ड पम्प को दुरस्त करवाया गया।

09 नवम्बर तक 28 वॉल्व व 157 पाईप लाईन	10 नवम्बर तक 28 वॉल्व व 178 पाईप लाईन
12 नवम्बर तक 35 वॉल्व व 189 पाईप लाईन	13 नवम्बर तक 37 वॉल्व व 197 पाईप लाईन
14 नवम्बर तक 38 वॉल्व व 199 पाईप लाईन	16 नवम्बर तक 41 वॉल्व व 199 पाईप लाईन
17 नवम्बर तक 42 वॉल्व व 210 पाईप लाईन	18 नवम्बर तक 46 वॉल्व व 219 पाईप लाईन
19 नवम्बर तक 47 वॉल्व व 231 पाईप लाईन	20 नवम्बर तक 48 वॉल्व व 240 पाईप लाईन
21 नवम्बर तक 49 वॉल्व व 244 पाईप लाईन	23 नवम्बर तक 49 वॉल्व व 249 पाईप लाईन
24 नवम्बर तक 55 वॉल्व व 257 पाईप लाईन	25 नवम्बर तक 57 वॉल्व व 272 पाईप लाईन
26 नवम्बर तक 59 वॉल्व व 283 पाईप लाईन	27 नवम्बर तक 62 वॉल्व व 291 पाईप लाईन
28 नवम्बर तक 65 वॉल्व व 308 पाईप लाईन	30 नवम्बर तक 68 वॉल्व व 312 पाईप लाईन

जिसके तहत वॉल्व,पाईप लाईन लीकेज दुरस्त व नवीन वॉल्व लगाने की कार्यवाही कार्यपालन यंत्री श्री सुरेशचन्द्र व्यास, जलप्रदाय विभाग प्रभारी श्री सत्यप्रकाश आचार्य, उपयंत्री श्री सुहास पंडित, श्री भैयालाल चौधरी के अलावा श्री नीरज यादव, श्री मोहन आदि के निर्देशन में की गई।

दीपावली पर निगम भवन पर महालक्ष्मी पूजन व सरस्वती पूजन

प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी निगम भवन पर दीपावली के अवसर पर महालक्ष्मी पूजन 14 नवम्बर शनिवार को अपरान्ह 12:30 बजे आयोजित होगा। इस अवसर पर कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम, रतलाम श्री गोपालचन्द्र डाड, निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया निगम के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहेगें।मध्यप्रदेश शासन के आदेशानुसार 14 नवम्बर शनिवार को दीपावली पर्व पर नगर सीमा में स्थित समस्त पशु वध गृह एवं मांस विक्रय की दुकानों पर पशुवध करना, मटन, गौशत विक्रय करना अथवा बेचना निषेध या गया है।

इसी तरह निगम कार्यालय पर प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी सरस्वती पूजन 16 नवम्बर सोमवार को प्रातः 11:00 बजे आयोजित हुआ।

नगर निगम कार्यालय पर सरस्वती तथा कलम दवात का पूजन निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने उपायुक्त श्री विकास सोलंकी, प्रभारी उपायुक्त श्री भविष्य कुमार खोब्रागड़े व निगम अधिकारी एवं कर्मचारियों के साथ किया। सरस्वती पूजन के अवसर पर निगम अधिकारी एवं कर्मचारी सर्वश्री एम.के.जैन, श्याम सोनी, विजय बालोद्रा, ए.पी. सिंह, सुहास पंडित, विकास मरकाम, ब्रजेश कुशवाह, रामचन्द्र शर्मा, श्याम सुन्दर सोनी, गोपाल झालीवाल, बलवंतसिंह राठौर, दीपू पुरोहित, कैलाश गेहलोत, राजेन्द्रसिंह राठौर, राजेन्द्रसिंह गेहलोत, सुरेन्द्र आर्य, अंजनीप्रसाद मिश्रा, प्रवीण तिवारी, रतनसिंह, चन्द्रसिंह पवांर, कैलाश टेकवानी, लियाकत, अकरम मलिक आदि उपस्थित थे।

एमपीयूडीसी की बैठक में मिनी स्मार्ट सिटी के कार्यों की हुई समीक्षा कार्यों में गति बढ़ाये जाने के दिये निर्देश

एमपीयूडीसी की बैठक में **मिनी स्मार्ट सिटी** के कार्यो की हुई समीक्षा कार्यो में गति बढ़ाये जाने के दिये निर्देश कलेक्टोरेट में आयोजित एमपीयूडीसी की बैठक में मिनी स्मार्ट सिटी के तहत किये जा रहे कार्यो की विधायक रतलाम शहर माननीय श्री चेतन्य जी काश्यप व कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री गोपालचन्द्र डाड द्वाराकी गई। आयोजित बैठक में विधायक माननीय श्री काश्यप व कलेक्टर श्री डाड ने मिनी स्मार्ट सिटी के कार्यों की समीक्षा कर कार्य में धीमी गति होने पर नाराजगी व्यक्त कर कार्य में गति बढ़ाये जाने के साथ ही गुणवत्ता बनाये रखने के निर्देश दिये।

बैठक में निरस्त कार्यो की सूची तथा नवीन कार्यो की सूची माननीय विधायक श्री काश्यप द्वारा किये गये संशोधनों के साथ आगामी बैठक में प्रस्तुत करने के निर्देश के साथ ही कृशि उपज मंडी के सामने नल योजना की लाईन का परीक्षण किये जाने तथा विद्युत पोल शिफ्टिंग का प्रस्ताव प्रस्तुत करने के निर्देश भी बैठक में दिये गये। आयोजित बैठक में निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया, प्रभारी प्रभारी उपायुक्त श्री भविष्य कुमार खोब्रागड़े, कार्यपालन यंत्री श्री जी.के. जायसवाल, प्रभारी सहायक यंत्री श्री श्याम सोनी, पी.एम. पीआईयू उज्जैन एमपीयूडीसी, टीम लीडर पीएमसी, एसीएम पीएमसी, मिनी स्मार्ट सिंटी के कान्ट्रेक्टर आदि उपस्थित थे।

कोरोना कल में मास्क न लगाने पर सख्त नगर निगम

कोविड–19 (नोवल कोरोना वायरस) के संक्रमण को रोकने हेतु शासन, कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री गोपालचन्द्र डाड व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार मास्क नहीं लगाने वाले व्यक्तियों पर नगर निगम द्वारा जुर्माने की कार्यवाही की जा रही है। है।नगर निगम के स्वास्थ्य अमले द्वारा मास्क के घुमने पर 100–100 रूपये का जुर्माना कर भविष्य में मास्क लगाने की समझाईश दी। ज्ञातव्य है कि राज्य शासन द्वारा प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों के सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी व्यक्ति द्वारा थूकने को प्रतिबंधित किया गया है ऐसे किसी भी व्यक्ति को जो सार्वजनिक स्थल पर थूकता हुआ पाया जाता है को नगर निगम द्वारा रूपये 1,000/– के अर्थदण्ड से दण्डित किया जायेगा। म.प्र. लोक स्वास्थ्य अधिनियम–1949 के अन्तर्गत कोविड–19 (नोवल कोरोना वायरस) के कारण होने वाली महामारी को संक्रामक बीमारी के रूप में अधिसूचित किया गया है। उक्त बीमारी संक्रमित वस्तु को स्पर्श तथा संक्रमित व्यक्ति के छींकने, खांसने तथा थूकने से बहुत तेजी से फैलती है। उक्त बीमारी की रोकथाम हेतु शासन द्वारा मास्क पहनना भी अनिवार्य किया गया है।

दो गज की दूरी, चेहरे पर मास्क जरूरी

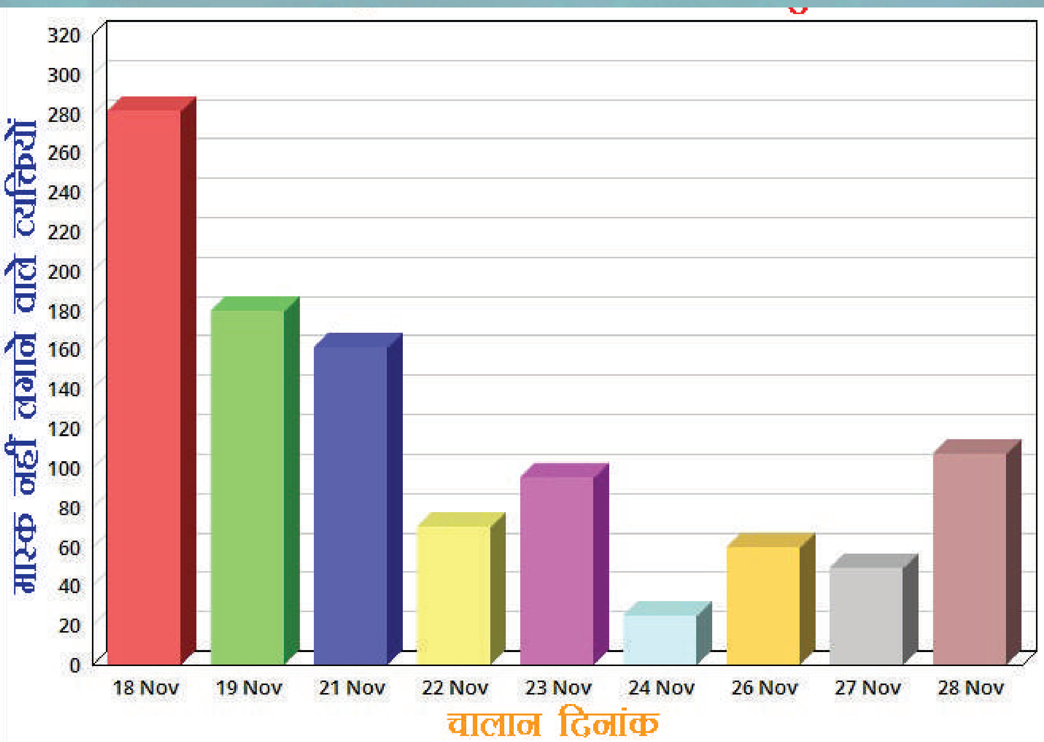

निगम आयुक्त श्री झारिया ने साप्ताहिक टी.एल. बैठक ली

नगर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने निगम के विभाग प्रमुखों की साप्ताहिक टी. एल. बैठक लेकर कार्यो की समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिये। आयोजित बैठक में

निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया कि नामान्तरण, खरीदी, निर्माण आदि की विज्ञप्तियों को नगर निगम की वेबसाईट तउबतंजसंउण्पद पर अपलोड की जाये ताकि निगम की वेबसाईट पर कोई भी नागरिक ऑन लाईन विज्ञप्ति पढ़ सके साथ ही सिटी मैनेजर एसोसिएशन संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास म.प्र. की वेबसाइट में अपलोड किये जाने हेतु श्री नरेन्द्र वर्मा को विज्ञप्ति भेजी जाये। साथ ही उन्होने यह भी निर्देश दिये कि वेबसाईट पर विज्ञप्ति के अलावा नगर निगम की प्रतिदिन की खबरे सहीत अन्य जानकारियां भी अपलोड की जाये।

इसके अलावा

रोजगार मूलक योजनाओं का तेजी से क्रियान्वयन किये जाने के निर्देश निगम आयुक्त श्री झारिया ने बैठक में दिये ताकि अधिक से अधिक बेरोजगारों को योजनाओं का लाभ मिल सकें। निगम प्रबंधन के हनुमान ताल के सौन्दर्यीकरण व अवैध रूप से किये जा रहे मत्सय आखेट पर कार्यवाही किये जाने हेतु मंदिर के भक्तगणों द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर कार्यवाही किये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री झारिया ने संबंधितों को निर्देशित किया।

साथ ही निगम आयुक्त श्री झारिया ने दीनदयाल रसोई योजना प्रारंभ किये जाने की प्रगति की जानकारी बैठक में ली नगर की सड़को व चौराहो को मवेशी मुक्त रखने हेतु ऐसे मवेशी पालक जो कि अपने मवेशियों को खुला छोड़ देते है उनके तबेले तोड़ने हेतु मवेशी पालकों को नोटिस जारी करने तथा पकड़े गये मवेशियों का पुरा रेकार्ड रखने के निर्देश के निगम आयुक्त श्री झारिया ने बैठक मे दिये।

E-News Letter

रतलाम
नगर पालिका निगम

नगर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने निगम के विभाग प्रमुखों की साप्ताहिक टी.एल. बैठक लेकर कार्यो की समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिये। आयोजित बैठक में निगम आयुक्त श्री झारिया ने टी. एल. शिकायतों की समीखा कर शिकायतों का निराकरण समय–सीमा में किये जाने के निर्देश संबंधितों को दिये साथ ही उन्होने निर्देशित किया कि किसी भी विभाग में नस्तीयों के संबंध में कोई पेंडेंसी नही होना चाहिये। इसके अलावा समाधान ऑनलाईन की लंबित शिकायतों का निराकरण 3 दिवस में किये जाने व मार्च माह से जनसुनवाई बंद हो जाने से लंबित शिकायतों का एक माह में निराकरण किये जाने के निर्देश दिये। सी0एम0 हेल्थ लाईन में दर्ज सभी लेवल की शिकायतों का शीघ्र निराकरण करवाया जाये साथ ही यह भी निर्देश दिये कि शिकायतों का निराकरण एल–1 स्तर पर ही किया जाये ताकि शिकायत उच्च स्तर पर दर्ज ना हो सकें। इसके अलावा 100 दिवस से अधिक लंबित व ग्रेडिंग की शिकायतों का 3 दिवस में निराकरण किया जाये। इसके अलावा विभिन्न आयोग, पी.एम., सी.एम. कार्यालय से प्राप्त शिकायतों का समय पर निराकरण करवाये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री झारिया ने संबंधित को निर्देशित किया।

बैठक में दिये साथ ही स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के तहत किये गये तथा किये जाने

वाहन चालक व कम्प्यूटर आपरेटर आउटसोर्स/संविदा पर रखे जाने की कार्यवाही किये जाने के साथ ही गंदगी फैलाने वाले दुकानदारों, होटल आदि पर जुर्माना किये जाने तथा वार्डो में कितने–कितने डस्टबीन है तथा कितने डस्टबीनों की आवश्यकता है इसका सर्वे कराये जाने के निर्देश संबंधित को दिये। इसके अलावा दीनदयाल रसोई योजना का केन्द्र प्रारंभ किये जाने स्थलो के संबंध में विचार कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश बैठक में दिये। आयोजित बैठक में निर्देशित किया कि आयोजित बैठक में उपायुक्त श्री विकास सोलंकी, सहायक आयुक्त श्रीमती नीता जैन, श्रीमती ज्योति सुनारिया, प्र0 कार्यपालन यंत्री श्री जी.के. जायसवाल, प्रभारी कर्मशाला व प्रकाश विभाग श्री एम0के0 जैन, उपयंत्री श्री अनवर कुरेशी, श्री सुहास पंडित, प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी श्री ए.पी. सिंह, प्रभारी उद्यान विभाग श्री अरविन्द दशोत्तर, निगम सचिव श्री जसवंत जोशी, प्रभारी कार्यालय अधीक्षक श्री रामचन्द्र शर्मा, स्टेनोग्राफर श्री प्रमोद तिवारी, सिटी मैनेजर श्री कपिल मारोठिया, श्री नितिन तिवारी आदि उपस्थित थे।

रतलाम 03 नवम्बर । रतलाम 11 नवम्बर । रतलाम 17 नवम्बर । रतलाम 24 नवम्बर ।

टीवी कैमरों के माध्यम से खुले में कचरा डालने व गंदगी करने वालों पर कन्ट्रोल रूम पर निगरानी रखी जा रही है और वसूला जा रहा है जुर्माना

नगरीय क्षेत्र रतलाम के दुकानदार एवं नागरिक जो कि अपनी दुकानों एवं घरों में गीले एवं सूखे कचरे के पृथक–पृथक डस्टबीन नहीं रख रहे है व दुकानों के सामने गंदगी व अतिक्रमण कर रहे उन पर निगम के स्वास्थ्य अमले द्वारा जुर्माने की कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है।

नगरीय क्षेत्र रतलाम के दुकानदार अपनी दुकानों में गीले एवं सूखे कचरे के लिये 2 डस्टबीन अनिवार्य रूप से रखें व कचरा निगम कचरा संग्रहण वाहन में ही डाले।

जो **दुकानदार 2 डस्टबीन** नहीं रखेगा, कचरा खुले में डालेगा तथा दुकान के अंदर विशेषकर रेस्टारेंटो में गंदगी व निर्माण सामग्री के बर्तन साफ नहीं पाये जायेंगे ऐसे नगर के दुकानदारों पर नगर निगम एक्ट के तहत स्पॉट फाईन व दुकान सील करने की कार्यवाही की जायेगी। इसके अलावा ऐसे नागरिक जो कि गीले एवं सूखे कचरे के पृथक्कीकरण हेतु दो डस्टबीन नहीं रखेंगे तथा खुले में कचरा डालेंगे उन पर भी जुर्माने की कार्यवाही की जायेगी।

नगर के विभिन्न स्थानों पर लगे सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से खुले में कचरा डालने व गंदगी करने वालों पर कन्ट्रोल रूम पर निगरानी रखी जा रही है।

नगर निगम की टीम संबंधित के घर एवं दुकानों पर जाकर 5000—5000 हजार का जुर्माना करेगी।

सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर होगा 1,000/— का जुर्माना

निगम आयुक्त श्री झारिया के निर्देशानुसार शंकर किराना धानमण्डी द्वारा सिविक सेन्टर में बिना अनुमति के भारी वाहन खड़ा करने व रूमी गैस सर्विस द्वारा सिविक सेन्टर में बिना अनुमति के गैस सिलेण्डर वितरण करने पर संबंधितों का 5000—5000 रूपये का जुर्माना किया गया।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार गंदगी फैलाने पर चम्पालाल चांदनी चौक पर 2000, वेदांत एग्रोटेक गायत्री टॉकिज रोड, कन्हैयालाल, चरणसिंह, छोटेलाल अशोक कुमार गांधी, कुलदीप, पियूष रेडिमेड चांदनी चौक पर 500—500, आशीष जैन सैलाना बस स्टैण्ड, प्रशांत गायत्री टॉकिज रोड पर 250—250, गोविन्द फुटवियर, शंकर फुटवियर 200— 200 रूपये का जुर्माना कर भविष्य में गंदगी ना करने के निर्देश दिये। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर गंदगी फैलाने वालो पर जुर्माने की कार्यवाही प्रारंभ गंदगी व मलबा फैलाने, अतिक्रमण करने पर 14 व्यक्तियों पर जुर्माना नो पार्किंग में वाहन खड़े करने पर 5 व्यक्तियों पर जुर्माना जुर्माने के रूप में 13,250/— की राशि वसूली नगर के ऐसे दुकानदार एवं नागरिक जो कि खुले में कचरा डालकर नगर को गंदा कर रहे है ऐसे व्यक्तियों पर लगाम लगाने हेतु नगर के विभिन्न स्थानों पर स्थापित **सीसीटीवी कैमरों से सत्त निगरानी रखी जा रही है इस हेतु पुलिस कन्ट्रोल रूम पर 3 पालियों में कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है।**

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार गंदगी व अतिक्रमण करने पर पारसमल—नेमीचन्द बजाज खाना पर 1000, महेन्द्र एण्ड कम्पनी, अजय किराना, मो0 युनुस, पुष्प मसाला, नीरज कंगन माणक चौक, कारपेट हाउस बजाज खाना, राहूल, राकेश—ओमप्रकाश, गांधी—पन्नालाल गणेश देवरी, नीरज जैन, जमील हसन तोपखाना जितेन्द्र—किशोरीलाल माणक चौक पर 500—500 व अब्दुल वहाब ईस्माईल तोपखाना पर 250 रूपये का जुर्माना किया गया।

इसके अलावा कालेज रोड क्षेत्र में नो पार्किंग क्षेत्र में वाहन खड़े करने पर मुकेश घोटा पर 2000, संदीप जैन पर 1500, नाकोड़ा ऑटो माल पर 1000, शौकत भाई पर 500 व वाहन क्रमांक एम.पी. 43 सी 7788 पर 1000 रूपये का जुर्माना कर भविष्य में गंदगी व अतिक्रमण ना करने तथा नो पार्किंग क्षेत्र में वाहन खड़े ना करने के निर्देश दिये।

E-News Letter
रतलाम
नगर पालिका निगम

जुर्माने की कार्यवाही प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी श्री ए.पी. सिंह, झोन प्रभारी श्री किरण चौहान व श्री पर्वत हाड़े आदि के द्वारा की गई।

नगरीय क्षेत्र रतलाम के दुकानदार एवं नागरिक जो कि अपनी दुकानों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के तहत कचरा पृथक्कीकरण हेतु 4 डस्टबीन नहीं रख रहे है व दुकानों के सामने गंदगी व अतिक्रमण कर रहे उन पर निगम के स्वास्थ्य अमले द्वारा जुर्माने की कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है।

नगरीय क्षेत्र रतलाम के दुकानदार अपनी दुकानों में गीले कचरे अर्थात कीचन में बनी हुई खाद्य सामग्री, फल–सब्जी के छिलके, घांस व पेड़ की पत्तियां, राख, चाय पत्ती, बचा हुआ खाना आदि के लिये हरा डस्टबीन,

मेडिकल वेस्ट अर्थात् सेनेटरी नेपकीन, डायपर, सुई, सिंरिज, मास्क, ग्लब्स, पीपीई कीट आदि के लिये पीला डस्टबीन

सूखा कचरा अर्थात पुस्टा, अखबार, लोहा, कपड़ा, शाल, कांच, पैकिंग मटेरियल, टुटे खिलौने, प्लास्टिक आदि के लिये नीला डस्टबीन

घरेलू हानिकार कचरे के लिये पेन्ट के डिब्बे,पेस्टीसाइड के डिब्बे, सीएफएल, ट्यूबलाईट, थर्मामीटर, बैटरी आदि के लिये काला डस्टबीन

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने विभिन स्थानों का निरीक्षण

नगर निगम वाहनों के जीपीएस सिस्टम व आईटी सेल का कार्यालय सिविक सेन्टर स्थित तरणताल के पीछे वाले हॉल में प्रारंभ किये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने स्थल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान निगम आयुक्त श्री झारिया ने निरीक्षण के दौरान निर्देशित किया कि **जीपीएस सिस्टम व आईटी सेल का कार्यालय** प्रारंभ किये जाने हेतु हॉल की साफ–सफाई व रंगाई पुताई शीघ्र करवाई जाये ताकि कार्यालय शीघ्र प्रारंभ किया जा सके। इसके अलावा फर्नीचर, लाईट फिटिंग सहित अन्य व्यवस्थाऐं करवाये जाने के भी निर्देश संबंधित को दिये। निरीक्षण के दौरान उपायुक्त श्री विकास सोलंकी, प्रभारी उपायुक्त श्री भविष्य कुमार खोब्रागड़े, सहायक आयुक्त श्रीमती ज्योति सुनारिया, कार्यपालन यंत्री श्री जी.के. जायसवाल, उपयंत्री श्री सिद्धार्थ सोनी, श्री ब्रजेश कुशवाह, निजी सहायक श्री सुभाष गोयल, सिटी मैनेजर श्री नितिन तिवारी, सहायक वर्ग 3 श्री राजेन्द्रसिंह राठौर, झोन प्रभारी श्री पर्वत हाड़े, श्री किरण चौहान आदि उपस्थित थे।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने त्रिवेणी रोड स्थित बकरा शाला का निरीक्षण किया

निरीक्षण के दौरान उन्होने चारा विक्रय करने वालो को निर्देशित किया कि वे चारा विक्रय हेतु अपनी गाड़ियां बकरा शाला के अन्दर लगाये ताकि बाहर गंदगी ना हो। चारा विक्रय बकरा शाला के अन्दर हो इस हेतु बकरा शाला के पदाधिकारियों से निगम आयुक्त श्री झारिया ने चर्चा की। इसके अलावा निगम आयुक्त श्री झारिया ने त्रिवेणी रोड, मोती नगर, त्रिपोलिया गेट आदि के समस्त सार्वजनिक शौचालय, सुलभ शौचालयों का निरीक्षण कर शौचालयों की प्रतिदिन सफाई, धुलाई व कीटनाशक दवा का छिड़काव किये जाने के निर्देश संबंधितों को दिये। माणक चौक क्षेत्र के निरीक्षण के दौरान निगम आयुक्त श्री झारिया ने दुकानदरों को निर्देशित किया कि अपनी दुकानों में पृथक–पृथक कचरे हेतु पृथक–पृथक कचरा पात्र अनिवार्य रूप से रखें व पृथक किये गये कचरे को निगम के कचरा संग्रहण वाहन के पृथक–पृथक भागों में डालकर रतलाम शहर को स्वच्छ व सुन्दर बनायें। खुले में या इधर–उधर कचरा डालने वाले दुकानदरों की दुकानें सील करने की कार्यवाही की जायेगी। इस अवसर पर गंदगी फैलाने वाले दुकानदरों पर जुर्माने की कार्यवाही भी की गई।

निगम आयुक्त श्री झारिया द्वारा विकास शाखा भवन का निरीक्षण जन कल्याणकारी योजना विभाग विकास शाखा में लगाने के दिये निर्देष

विकास शाखा भवन में ऐसे कमरे जिनमें अनुपयोगी सामग्री रखी होकर बंद है ऐसे कमरे आदि को खाली करवाया जाकर अन्य विभाग स्थानांतरित किये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने निगम अधिकारियों के साथ भवन का निरीक्षण किया।

निरीक्षण के दौरान निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया कि भवन में जलप्रदाय के स्टोर को हटाया जाकर यहां पर जनकल्याणकारी योजना विभाग लगाने के निर्देश संबंधितों को दिये। उन्होने निर्देशित किया कि विकास शाखा कार्यालय के कमरो में जो भी अनुपयोगी सामग्री है उसकी सूची शीघ्र तैयार की जाये ताकि सामग्री के विक्रय की कार्यवाही की जा सकें।

इस अवसर पर **उपायुक्त श्री विकास सोलंकी**, प्रभारी उपायुक्त श्री भविष्यकुमार खोब्रागड़े, सहायक आयुक्त श्रीमती नीता जैन, कार्यपालन यंत्री श्रीजी.के. जासयवाल, प्रभारी सहायक यंत्री श्री एम.के. जैन, निगम सचिव श्रीजसवन्त जोशी, उपयंत्री श्री विकास मरकाम, श्री सिद्धार्थ सोनी, प्रभारी कार्यालय अधीक्षक श्री रामचन्द्र शर्मा, श्री जितेन्द्र सिसोदिया आदि उपस्थित थे।

निगम आयुक्त श्री झारिया द्वारा बाजना **बस स्टैण्ड क्षेत्र का** निरीक्षण व दुकानदारों को स्वच्छता बनाये रखने की दी समझाईस

गंदगी व अतिक्रमण करने पर 7 दुकानदारों पर किया जुर्माना नगर में ऐसे दुकानदार एवं नागरिक जो कि अपनी दुकानों एवं घरो से निकलने वाले कचरे को कचरा संग्रहण वाहन में नहीं डालते हुए यहां–वहां डालकर नगर को गंदा करते है ऐसे दुकानदार एवं नागरिकों को लगाम लगाने हेतु निगम द्वारा जुर्माने की कार्यवाही की जा रही है। निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने प्रातः बाजना बस स्टैण्ड क्षेत्र का निरीक्षण करने पर पाया कि क्षेत्र के दुकानदार अपनी दुकानों से निकलने वाले कचरे को सड़क व नालियों में डालते है जिससे क्षेत्र में गंदगी हो रही है। निगम आयुक्त श्री झारिया ने दुकानदारों को समझाईश दी की यह शहर हमारा है इसे साफ–स्वच्छ रखने का दायित्व हम सभी का है। हमे अपनी दुकानों एवं घरों से निकलने वाले कचरे को निगम के कचरा संग्रहण वाहन में डालने की आदत डालना होगी।

E-News Letter
रतलाम
नगर पालिका निगम

तय समय सीमा मे हुआ जलकर काउन्टर का रिनोवेशन कार्य पूर्ण

16 नवम्बर को कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री गोपालचन्द्र डाड द्वारा दीपावली पर नगर निगम कार्यालय में महालक्ष्मी पूजन पश्चात नगर निगम कार्यालय परिसर का निरीक्षण निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया व निगम अधिकारियों के साथ किया। रेनोवेटेड जलकर काउन्टर के । निरीक्षण के दौरान कलेक्टर एवं प्रशासक श्री डाड ने निर्देशित किया कि कर्मचारियों की बैठक व्यवस्था हेतु नवीन फर्नीचर शीघ्र किया जाये ताकि रेनोवेटेड काउन्टर शीघ्र प्रारंभ किया जा सके। जलकर काउन्टर के पास रिक्त भूमि के निरीक्षण के दौरान कलेक्टर एवं प्रशासक श्री डाड ने कहा कि नागरिकों की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए यहां पर संपत्तिकर काउन्टर भवन का निर्माण किया जाना उचित होगा जिससे जलकर व संपत्तिकर एक ही स्थान पर जमा हो सके इससे निगम के राजस्व में भी वृद्धि होगी

जलकर काउंटर भवन का रिनोवेशन कार्य प्रारंभ होने से जलकर जमा कराने की व्यवस्था निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार नगर निगम कार्यालय (जलकर काउन्टर के पीछे) के फायर ब्रिगेड में की गई है नागरिक निगम कार्यालय के फायर ब्रिगेड में उपस्थित होकर जलकर की राशि जमा करा सकते है।

नगर निगम के जलकर काउन्टर का रिनोवेशन कार्य पूर्णता की ओर है, धनतेरस से जलकर काउन्टर पर जलकर जमा किया जाना प्रारंभ किया जायेगा। श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार अस्थाई व्यवस्था के तहत नगर निगम कार्यालय (जलकर काउन्टर के पीछे) के फायर ब्रिगेड में जलकर जमा कराने की व्यवस्था की गई है।

नगर निगम के जलकर काउन्टर का रिनोवेशन कार्य पूर्णता की ओर है, रूप चौदस से जलकर काउन्टर पर जलकर जमा किया जाना प्रारंभ किया जायेगा।

जलकर काउन्टर के पास रिक्त भूमि पर बनेगा संपत्तिकर काउंटर कलेक्टर एवं प्रशासक श्री डाड ने कार्य योजना शीघ्र प्रस्तुत करने के दिये निर्देश

कालिका माता व हनुमान ताल परिसर की विषेश सफाई प्रारंभ

नरीक्षण के दौरान निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया कि हनुमान ताल को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किये जाने हेतु नगर निगम द्वारा **सौन्दर्यीकरण** किया जाना है इस हेतु ताल की लगभग डेढ़ किलोमीटर पाल पर उगी हुई सभी प्रकार की झाड़ियों को तीव्र गति हटवाया जाये साथ ही कचरा भी यथा समय उठाया ये। तालाब की डेढ़ किलोमीटर से अधिक लम्बी पाल के अंतिम छोर तक निगम आयुक्त श्री झारिया ने उद्यान विभाग के 25 कर्मचारियों द्वारा किये जा रहे सफाई कार्य का निरीक्षण किया।

नागरिको के लिये लगेंगे जिम उपकरण व सीमेन्ट ब्लॉक

निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया कि पाल के पास उपलब्ध भूमि का वेस्ट मटेरियल से समतलीकरण किया जाकर यहां पर नागरिकों को प्रातःकाल एवं सांयकाल एक्सरसाईज हेतु जिम के उपकरण लगाये जाये व एक्यूप्रेशर वाले इन्टरलॉकिंग सीमेन्ट ब्लॉक लगवाये जाये। इसके अलावा उन्होने निर्देशित किया कि तालाब क्षेत्र का सौन्दर्यीकरण व जल संरक्षण का कार्य जलसंसाधन विभाग से परामर्श लिया जाकर कार्य योजना शीघ्र प्रस्तुत की जाये। हनुमान ताल के पश्चात निगम आयुक्त श्री झारिया ने श्री कालिका माता परिसर के निरीक्षण के दौरान निर्देशित किया कि यह स्थल रतलाम का हृदय स्थल है यहां पर प्रतिदिन दोनो समय समुचित साफ– सफाई, आवश्यकता होने पर धुलाई आदि करवाई जाये साथ ही झाली तालाब की भी नियमित सफाई करवाई जाये तथा यहां से निकलने वाले कचरे यथा समय उठाया जाये। निरीक्षण के दौरान निगम

तरणताल के पीछे वाले हॉल में जीपीएस सिस्टम व आईटी सेल विभाग लगेंगे

नगर निगम वाहनों के जीपीएस सिस्टम व आईटी सेल का कार्यालय सिविक सेन्टर स्थित तरणताल के पीछे वाले हॉल में प्रारंभ किये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने स्थल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान निगम आयुक्त श्री झारिया ने निरीक्षण के दौरान निर्देशित किया कि जीपीएस सिस्टम व आईटी सेल का कार्यालय प्रारंभ किये जाने हेतु हॉल की साफ–सफाई व रंगाई पुताई शीघ्र करवाई जाये ताकि कार्यालय शीघ्र प्रारंभ किया जा सके। इसके अलावा फर्नीचर, लाईट फिटिंग सहित अन्य व्यवस्थाऐं करवाये जाने के भी निर्देश संबंधित को दिये। निरीक्षण के दौरान उपायुक्त श्री विकास सोलंकी, प्रभारी उपायुक्त श्री भविष्य कुमार खोब्रागड़े, सहायकआयुक्त श्रीमती ज्योति सुनारिया, कार्यपालन यंत्री श्री जी.के. जायसवाल, उपयंत्री श्री सिद्धार्थ सोनी, श्री ब्रजेश कुशवाह, निजी सहायक श्री सुभाष गोयल, सिटी मैनेजर श्री नितिन तिवारी, सहायक वर्ग 3 श्री राजेन्द्रसिंह राठौर, झोन प्रभारी श्री पर्वत हाड़े, श्री किरण चौहान आदि उपस्थित थे।

E-News Letter

रतलाम

नगर पालिका निगम

जीपीओ रोड से हटाया अतिक्रमण, सड़क हुई चौड़ी

लोकेन्द्र टॉकिज से महाराणा प्रताप चौक तक जीपीओ रोड पर दुकानदारों द्वारा किये गये अतिक्रमण को निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशन में हटाया जाकर सड़क को चौड़ा किया गया ताकि यातायात में किसी प्रकार की परेशानी उत्पन्न ना हो। नगर निगम व यातायात विभाग द्वारा की गई कार्यवाही के तहत सड़क पर दुकानदारों द्वारा किये गये अतिक्रमण को हटाया गया साथ ही अतिक्रमणकर्ता दुकानदारों के विरूद्ध जुर्माने की कार्यवाही की गई

जिसके तहत जे.पी. ऑटो पार्ट्स, सुपर ऑटो गैरेज, चारभुजा ऑटो पार्ट्स, न्यू नाकोड़ा ऑटो पार्ट्स, यूनुस ऑटो गैरेज व गोराणा स्टील पर 2000–2000 का जुर्माना किया गया। अतिक्रमण हटाने व जुर्माने की कार्यवाही के दौरान निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया, यातायात विभाग के अधिकारी, प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी श्री ए.पी. सिंह, उपयंत्री श्री अनवर कुरेशी, श्री मनीष तिवारी, झोन प्रभारी श्री पर्वत हाड़े आदि उपस्थित थे।

नगर निगम द्वारा अचल संपत्तियों के ऑनलाइन विक्रय की कार्रवाई आरंभ

नवम्बर |रतलाम नगर निगम द्वारा अपनी बिक्री योग्य अचल संपत्तियों के ऑनलाइन विक्रय की कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। इस संबंध में एक कार्यशाला कलेक्टर सभाकक्ष में आयोजित की गइ जिसमें नगर के कालोनाईजर, ठेकेदार, प्रिन्ट एवं इलेक्ट्रॉनिक मिडिया, प्रापर्टी ब्रोकर आदि सम्मिलित हुए। विधायक शहर माननीय श्री चेतन्य जी काश्यप एवं कलेक्टर तथा प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री गोपालचंद्र डाड द्वारा नगर निगम की संपत्तियों के पारदर्शी विक्रय के लिए की गई पहल पर निगम द्वारा ऑनलाइन विक्रय की कार्रवाई की जा रही है। कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित कार्यशाला में कलेक्टर श्री गोपालचंद्र डाड, निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया, एसडीएम श्री अभिषेक गहलोत, कार्यपालन यंत्री श्री सुरेश व्यास, सहायक यंत्री श्री श्याम सोनी, विभिन्न कॉलोनाइजर, प्रॉपर्टी ब्रोकर, प्रिन्ट एवं इलेक्ट्रॉनिक मिडिया, ठेकेदार इत्यादि उपस्थित थे। ऑनलाइन विक्रय की जाने वाली संपत्तियों में निगम स्वामित्व की दुकानें, व्यवसायिक भूमि सम्मिलित है। इनमें हाथी खाना रोड पर पाजरा पोल परिसर में निर्मित 4 दुकाने, डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी बस स्टैंड महू रोड के भूतल पर स्थित तीन दुकानें, बस स्टैंड भवन के मेजेनाइन फ्लोर पर निर्मित बड़ा तथा छोटा हाल, बस स्टैंड भवन की छत, फव्वारा चौराहा महू रोड पर निगम स्वामित्व के नाके की खुली भूमि सम्मिलित है। इसी प्रकार भविष्य में विक्रय की जाने वाली संपत्तियों की जानकारी भी दी गई जिनमें आगामी 2 माह के भीतर निगम द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत निर्मित एलआईजी, एमआईजी फ्लैट्स एवं दुकानों का विक्रय, डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगर में 96 एमआइजी फ्लैट्स का विक्रय, डोसी गांव में 96 एलआईजी फ्लैट्स का विक्रय, बंजली में 192 एलआईजी फ्लैट्स तथा लगभग 160 एलआईगी भूखंड का विक्रय तथा अन्य संपत्तियों जैसे सिविक सेंटर की दुकाने, व्यवसायिक हाल, आवासीय फ्लैट्स, सुभाषचंद्र बोस मार्केट की दुकानें, देवरा देव नारायण नगर के फ्लैट भी सम्मिलित हैं जो भविष्य में ऑनलाइन विक्रय किए जाएंगे।

कॉलोनी में कर जमा करने के लिए लगे शिविर

शासन निर्देशानुसार नोवेल कोरोना वायरस (कोविड–19) वैष्विक महामारी से उत्पन्न परिस्थितियों के कारण प्रायः रोजगार में कमी, उद्योग– धन्धे में गिरावट, सर्विस सेक्टर आदि में शिथिलता परिलक्षित होने के फलस्वरूप निगम से संबंधित करों, उपभोक्ता प्रभार आदि की बकाया राशि एक मुष्त जमा कराने पर अधिभार (पेनल्टी) में 31 दिसम्बर 2020 तक छूट दी जा रही है। इस हेतु नगर निगम द्वारा नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए निगम से संबंधीत करों की बकाया राशि जमा कराने हेतु वार्ड वार बकाया वसूली शिविर 26 अक्टूबर से आयोजित किये गये है जो 30 दिसम्बर तक चलेंगे। आयोजित शिविरों में नागरिक नगर निगम की बकाया संपत्तिकर, जलकर, दुकान, गुमटी किराया, लायसेंस षुल्क एवं विकास शाखा से संबंधित भवन की किष्त तथा भू– भाटक की बकाया राशि एक मुष्त राशि जमा कर दी जा रही अधिभार में छूट का लाभ ले सकते है।

कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री गोपालचन्द्र डाड व

कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री गोपालचन्द्र डाड व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि संपत्तिकर तथा अधिभार की राशि रूपये 50,000/– (रूपये पचास हजार) तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 100 प्रतिशत की छूट, संपत्तिकर तथा अधिभार की राशि रूपये 50,000/– (रूपये पचास हजार) से अधिक तथा रूपये 1,00,000/– (रूपये एक लाख) तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट व संपत्तिकर तथा अधिभार की राशि रूपये 1,00,000/– (रूपये एक लाख) से अधिक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 25 प्रतिशत की छूट दी जा रही है। इसके अलावा जलकर अधिभार की राशि रूपये 10,000/– (रूपये दस हजार) तक बकाया होने पर 100 प्रतिशत की छूट, जलकर तथा अधिभार की राशि रूपये 10,000/– (दस हजार) से अधिक तथा रूपये 50,000/– (पचास हजार) तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 75 प्रतिषत की छूट, जलकर तथा अधिभार की राशि रूपये 50,000/– (पचास हजार) से अधिक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 50 प्रतिषत की छूट दी जा रही है। इसी तरह नगरीय निकायों द्वारा चयन की गई परिसंपत्तियों के भूभाटक/किराये की अधिभार सहित कुल देय राशि रूपये 20,000/– (बीस हजार) तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 100 प्रतिषत की छूट, अधिभार सहित कुल देय राशि रूपये 20,000/– (बीस हजार) से 50,000/– (पचास हजार) तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 50 प्रतिषत की छूट तथा अधिभार सहित कुल देय राशि रूपये 50,000/– (पचास हजार) से अधिक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 25 प्रतिषत की छूट दी जा रही है।

उक्त छूट मात्र अधिभार पर लागू होगी तथा ब्याज, स्टॉप ड्यूटी, मूल कर, मूल उपभोक्ता प्रभार अथवा मूल भूभाटक/किराये पर लागू नहीं होगी। नगर निगम द्वारा नागरिकों से अपील की जाती है कि संपत्तिकर, जलकर व नगरीय निकायों द्वारा चयन की गई परिसंपत्तियों के भूभाटक/किराये की बकाया राशि वार्डवार आयोजित बकाया शिविर व कार्यालय में जमा कर उक्तानुसार छूट प्राप्त करें।

निगम द्वारा आयोजित शिविरों में नागरिकों ने उत्साह दिखाते हुए

गांधीनगर शिविर में संपत्तिकर 2,38,224/— व जलकर 43,460/—

मालवा नगर शिविर में संपत्तिकर 3,66,429/— व जलकर 43,830/—

जवाहर नगर अम्बे माता मंदिर के पास शिविर में संपत्तिकर 2,69,336/— व जलकर41,850/—

विनोबा नगर पानी की टंकी के पास शिविर में संपत्तिकर 3,94,652/— व जलकर 1,06,050/—

अलकापुरी कम्युनिटी हॉल के पास शिविर में संपत्तिकर 4,54,616/— व जलकर84,000/—

तिरूपति नगर में शिविर में संपत्तिकर 55,700/— व जलकर 14,800/—

कोमल नगर शिविर में संपत्तिकर 65,133/— व जलकर 18,430/—

इन्द्रलोक नगर शिविर में संपत्तिकर 1,04,310/— व जलकर 37,520/—

कस्तुरबा नगर शिविर में संपत्तिकर 1,63,070/— व जलकर 41,200/—

प्रियदर्षनी नगर शिविर में संपत्तिकर 54,244/— व जलकर 31,700/—

डोंगरे नगर शिविर में संपत्तिकर 1,87,800/— व जलकर 13,500/—

हाट रोड माताजी मंदिर के पास शिविर में संपत्तिकर 89,439/— व जलकर 29,500/—

डॉ0 मेहरा नर्सिंग होम काटजू नगर शिविर में संपत्तिकर 2,23,843/— व जलकर 80,000/—

वेदव्यास कालोनी शिविर में संपत्तिकर 78,232/— व जलकर 24,800/—

दीनदयाल नगर शिविर में संपत्तिकर 42,264/— व जलकर 16,050/—

की एक मुष्त बकाया राशि जमा कराकर दी जा रही अधिभार में छूट का लाभ लिया। इस तर ह नागरिकों ने अब तक आयोजित शिविरों में 27,44,367/— संपत्तिकर व 6,19,690/— जलकर की राशि जमा कराई।

सिटी बस टर्मिनल भूमि की बाउण्ड्रीवॉल का निर्माण प्रारंभ

सिटी बस टर्मिनल हेतु ग्राम पलसोड़ा में जिला प्रशासन द्वारा 2.50 हेक्टर आवंटित भूमि पर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया की उपस्थिति में बाउण्ड्रीवॉल निर्माण का कार्य प्रारंभ किया गया। इस दौरान आवंटित भूमि पर कुछ अतिक्रमण पाये जाने पर निगम आयुक्त श्री झारिया द्वारा जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा कर तत्काल भूमि का सीमांकन करवाकर अतिक्रमण हटवाया गया।

DUTA | फण्ड से कालिका माता व पलसोड़ा में कार्य प्रारंभ

फण्ड से पलसोड़ा में सिटी बस टर्मिनल हेतु आवंटित 2.50 हेक्टर भूमि की बाउण्ड्रीवॉल व श्री कालिका माता में ट्रॉफिक पार्क तथा पार्क के नवीनीकरण का कार्य निगम द्वारा प्रारंभ कर दिया गया है। निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि क्न्ज्। फण्ड से पलसोड़ा में 42 लाख की लागत से सिटी बस टर्मिनल हेतु आवंटित 2.50 हेक्टर भूमि की बाउण्ड्रीवॉल का निर्माण तथा 36 लाख की लागत से श्री कालिका माता परिसर में ट्रॉफिक पार्क व पार्क के नवीनीकरण का कार्य नगर निगम द्वारा प्रारंभ कर दिया गया है।

E-News Letter
रतलाम
नगर पालिका निगम

विधायक निधि से हुआ छत्रियो का निर्माण

विधायक निधि से हुआ दीपावली पर्व पर विधायक चेतन्य काश्यप ने नवनिर्मित छत्रीपुल का ऐतिहासिक स्वरूप पुर्न स्थापित करने हेतु विधायक निधि से नवनिर्मित छतरियों का लोकार्पण किया। छतरियों के निर्माण से छत्रीपुल का वैभव लोट आया है। लोकार्पण से पूर्व श्री काश्यप ने पूजा–अर्चना कर शिलालेख का अनावरण किया। उन्होंने कहा कि शहर के विकास में कोई कसर नहीं छोडेंगे। श्री काश्यप ने बताया कि छत्रीपुल पर नाम अनुरूप सौंदर्यीकरण हेतु विधायक निधि से छतरियों का निर्माण कराया गया है। इससे इस पुल को अपनी विशिष्ट पहचान मिलेगी। इस अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष राजेंद्रसिंह लुनेरा, भाजपा जिला महामंत्री मनोहर पोरवाल, प्रदीप उपाध्याय, पूर्व महापौर शैलेंद्र डागा, पूर्व निगमाध्यक्ष अशोक पोरवाल, मंडल अध्यक्ष जयवंत कोठारी, निलेश गांधी, मयूर पुरोहित, करणधीर बडगोत्या, मंडल प्रभारी राकेश परमार, जिला मीडिया प्रभारी अरूण राव, कार्यालय मंत्री मनोज शर्मा, गोपाल शर्मा, नंदकिशोर पंवार, रंजीत परिहार, निर्मल कटारिया एवं निमिष व्यास सहित निगमायुक्त सोमनाथ झारिया, सिटी इंजीनियर एससी व्यास, जीके जायसवाल सहायक यंत्री श्याम सोनी व गणमान्यजन उपस्थित थे।त्रियो का निर्माण

निगम आयुक्त श्री झारिया ने ऑनलाईन प्रक्रिया पूर्ण करने के दिये निर्देश

नगर निगम में बिल्डिंग परमिशन, जन्म–मृत्यु एवं विवाह पंजीयन, जलकर,संपत्तिकर आदि का कार्य ऑन लाईन किया जा रहा है इसी तरह नामांतरण भी ऑन लाईन किये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री झारिया ने संपत्तिकर, राजस्व व विकास शाखा के अधिकारी एवं कर्मचारियों की बैठक ली। आयोजित बैठक में निगम आयुक्त श्री झारिया ने बताया कि शासन द्वारा **01 अप्रैल 2017 से ई– नगर पालिका** प्रोजेक्ट प्रारंभ कर सभी कार्य ऑन लाईन प्रारंभ कर दिये है नगर निगम रतलाम में भी अधिकांश कार्य ऑन लाईन किये जा रहे हैं। इसी के तहत अब नामांतरण भी ऑन लाईन किये जायेंगे इस हेतु संबंधित विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी अपनी तैयारियां पूर्ण कर लें। निगम आयुक्त श्री झारिया ने बताया कि नगर निगम में बिल्डिंग परमिशन, जन्म–मृत्यु एवं विवाह पंजीयन, जलकर, संपत्तिकर ऑन लाईन किये जाने के साथ ही निगम स्वामित्व की अचल संपत्तियों का विक्रय भी ऑन लाईन किया जा रहा है। अचल संपत्ति विक्रय में रतलाम नगर निगम प्रदेश का पहला निगम बन गया है। हमें नामांतरण भी ऑन लाईन कर रतलाम नगर निगम को प्रदेश में माडल के रूप में प्रस्तुत करना है। उन्होने कहा कि ऑन लाईन कार्य होने से कार्यो में गति आयेगी तथा नागरिकों को नगर निगम कार्यालय नहीं आना पड़ेगा वे घर बैठे–बैठे ही निगम से संबंधित अपने कार्य पूर्ण कर सकेंगे। आयोजित बैठक में उपायुक्त श्री विकास सोलंकी, सहायक आयुक्त श्रीमती ज्योति सुनारिया, श्रीमती नीता जैन, कार्यपालन यंत्री श्री सुरेशचन्द्र व्यास, प्रभारी सहायक यंत्री श्री एम.के. जैन, प्रभारी कार्यालय अधीक्षक श्री रामचन्द्र शर्मा, उपयंत्री श्री विकास मरकाम, स्टेनो श्री प्रमोद तिवारी सहित संपत्तिकर, राजस्व व विकास शाखा के कर्मचारी उपस्थित थे।

नागरिक निगम से संबंधित जानकारियां वेब साईट पर ऑन लाईन देख सकते है

नगर निगम रतलाम की विज्ञप्ति, समाचार सहित अन्य जानकारियां नागरिक ऑन लाईन देख सके इस हेतु निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने नगर निगम की बेवसाईट **www.rmcratlam.in** को पुर्नजीवित कर प्रारंभ किया। निगम आयुक्त श्री झारिया ने निगम के अधिकारी एवं कर्मचारियों को निर्देशित किया कि निगम के विभिन्न विभागों की जानकारी (डाटा) एकत्रित कर अपने–अपने विभागों की जानकारी वेबसाईट अपलोड किये जाने की कार्यवाही शीघ्र करें साथ ही वेबसाईट में किसी प्रकार की कोई कमी है तो उसे दुर किया जावें।

हाट रोड को वन वे किये जाने का कार्य प्रारंभ

यातायात की सुविधा व दुर्धटनाओं से बचाव हेतु हाट रोड को वन वे किये जाने हेतु नगर निगम द्वारा कार्य प्रारंभ कर दिया गया है कार्य का निरीक्षण निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने निगम अधिकारियों के साथ किया। हाट रोड को वन वे किये जाने हेतु नगर निगम द्वारा सड़क का सेन्टर निकाला जाकर स्टॉपर लगाने के कार्य किया जा रहा है यह कार्य रात में भी चालू रहेगा। हाट रोड क्षेत्र में बिल्डिंग लाईन से बाहर के स्थाई व अस्थाई अतिक्रमण को हटाने का कार्य निगम द्वारा प्रारंभ कर दिया गया है। इस अवसर पर कार्यपालन यंत्री श्री सुरेशचन्द्र व्यास, प्रभारी सहायक यंत्री श्री श्याम सोनी, प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी श्री ए.पी. सिंह, उपयंत्री श्री विकास मरकाम सहित पुलिस प्रशासन उपस्थित था। घर के बाहर स्वच्छता रखने में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका हो स्वच्छ और सुंदर रतलाम अभियान के तहत रांगोली बना कर दिया स्वच्छता का संदेश

देवरा देवनारायण कालोनी के प्लाटो के संबंध में जाहिर सूचना का खण्डन

देव नारायण धर्मराज (देवरा) ट्रस्ट राजगढ़ की सर्वे क्रमांक 95/1 की भूमि पर स्थित भुखण्डों के विक्रय किये जाने के संबंध में एडवोकेट श्री बी.एस. जोशी द्वारा 17 नवम्बर 2020 मंगलवार को दैनिक भास्कर समाचार–पत्र में प्रकाशित करायी गई जाहिर सूचना का नगर पालिक निगम रतलाम द्वारा खण्डन किया गया है। जाहिर सुचना में जिन प्लाटों का विवरण दिया गया है वे समस्त प्लाट नगर पालिक निगम रतलाम की योजना क्रमांक 55 देवरा देवनारायण कालोनी के भूखण्ड है जिस पर उक्त ट्रस्ट का कोई अधिकार नहीं है। नगर पालिक निगम रतलाम द्वारा वर्ष 1991 मं ही उक्त भूमि का कब्जा लिया गया होकर निगम द्वारा कालोनी विकसित की गई है और भूखण्डों का आवंटन भी कर दिया गया है। समस्त प्लाट नगर पालिक निगम रतलाम के होकर योजना क्रमांक 55 की स्कीम के है। जिसमें से कुछ प्लाटों का लीज पट्टा भी प्रदान किया गया है तथा कुछ प्लाटों का आवंटन पूर्व में किया जा चुका है मात्र पंजीयन करवाया जाना शेष है। जाहिर सुचना में वर्णित प्लाटो पर ट्रस्ट का कोई कब्जा नहीं है तथा योजना क्रमांक 55 की भूमि का पंजीयन भी नगर पालिक निगम रतलाम द्वारा यथाशीघ्र ट्रस्ट से करवा लिया जावेगा। इस संबंध में कोई भी व्यक्ति, संस्था किसी भी प्रकार से जाहिर सूचना में वर्णित प्लाटो के बारे में विक्रय अंतरण आदि का व्यवहार उक्त ट्रस्ट से नहीं करें। खण्डन पश्चात यदि कोई विक्रय, अंतरण आदि व्यवहार किया गया तो उक्त व्यवहार नगर पालिक निगम रतलाम पर बंधनकारी नहीं रहेगा।

निगम स्वामित्व की विभिन्न भूमियों के सीमांकन हेतु जिला प्रशासन को लिखा पत्र

नगर निगम स्वामित्व की जिला रतलाम, तहसील रतलाम, राजस्व निरिक्षक मंडल–रतलाम ग्रामीण, हल्का बंजली में बरबड़ क्षेत्र स्थित भूमियों का सीमांकन करवाये जाने हेतु कलेक्टर जिला रतलाम श्री गोपालचन्द्र डाड को निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने पत्र प्रेशित किया गया है। सर्वे क्रमांक **99 क्षेत्रफल 0.800 हेक्टर**, सर्वे क्रमांक 128/**1 क्षेत्रफल 1.600 हेक्टर**, सर्वे क्रमांक **132/1 क्षेत्रफल 1.200 हेक्टर**, सर्वे क्रमांक **132/2 क्षेत्रफल 0.010**, सर्वे क्रमांक **132/3 क्षेत्रफल 0.380 हेक्टर** व सर्वे क्रमांक **133 क्षेत्रफल 0.400 हेक्टर** भूमि का स्थल पर सीमांकन कराये जाने हेतु पत्र प्रेशित किया है।

लक्कड़पीठा में अग्नि दुर्घटना की जांच हेतु समिति का गठन

लक्कड़पीठा क्षेत्र में नरसिंह वाटिका के समीप लकड़ी गोदाम में 15 नवम्बर रविवार को हुई भीषण अग्नि दुर्घटना की जांच हेतु निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने समिति का गठन किया है। जांच समिति में प्रभारी राजस्व अधिकारी श्रीमती नीता जैन को जांच प्रभारी, श्री ए.पी. सिंह प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी एवं अग्निशमन अधीक्षक, श्री बृजेश कुशवाह क्षेत्रिय उपयंत्री, श्री हरीश मिश्रा सहायक राजस्व निरीक्षक व श्री पर्वत हाड़े झोन प्रभारी को सदस्य नियुक्त किया है। गठित समिति अग्नि दुर्घटनाग्रस्त क्षेत्र सहित लक्कड़पीठा क्षेत्र में स्थित समस्त गोदामों के क्षेत्रफल, गोदामों के संचालन की अनुमति, भण्डार क्षमता का विस्तृत सर्वे करते हुए 3 दिवस में जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। लक्कड़पीठा क्षेत्र स्थित नरसिंह वाटिका के पास लकड़ी गोदाम में लगभग रात्रि 8 बजे भीषण अग्नि दुर्घटना हुई जिसमें लगभग 8 फायर लारी व 2 टैंकर द्वारा दल–बल सहित रात्री 7 बजे से आग बुझाना प्रारंभ किया जाकर रात्रि 12 :30 बजे क आग पर काबू पाया गया। आग सुबह तक धीरे–धीरे जलती रही जिसे दुसरे दिन प्रात: 10 बजे तक पुरी तरह बुझाया गया। यदि समय रहते अग्नि पर काबू नहीं पाया जाता तो आग विकराल रूप ले सकती थी व काफी एरिया भी आग की चपेट में आ सकता था।

अनुशासनहीनता नहीं होगी बर्दाश्त ,कई पर गिरी गाज

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने **वार्ड क्रमांक 01** के सफाई संरक्षक (गैंग कर्मचारी) हितेश पैमाल द्वारा राजनैतिक धरना प्रदर्शन में भाग लेने पर एक दिवस का वेतन काटने व सेवा से बर्खास्त किये जाने के संबंध में कारण बताओ सूचना–पत्र जारी किया। **दैनिक भास्कर व पत्रिका समाचार–पत्र की 24 नवम्बर को प्रकाशित खबर** अनुसार सफाई संरक्षक (गैंग कर्मचारी) हितेश पैमाल द्वारा प्रकाश नगर में रेलवे की भूमि पर अवैध रूप से रहने वाले लोगो के विस्थापन के समय राजनैतिक धरना प्रदर्शन में भाग लिया गया था। उक्त दिवस का वेतन काटा जाकर दैनिक वेतन भोगी (सेवा की शर्ते) अनुसार सेवा से बर्खास्त किये जाने हेतु कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर 02 दिवस में स्पष्टीकरण चाहा गया है।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार 02 नवम्बर सोमवार को कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित अमर–मोहन व दिनेश कन्हैयालाल का वेतन काटे जाने व सेवा से बर्खास्त किये जाने के संबंध में कारण बताओ सूचना–पत्र जारी कर तीन दिवस में स्पष्टीकरण चाहा गया।

04 नवम्बर बुधवार को कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित नीरज–कन्हैयालाल का वेतन काटे जाने व सेवा से बर्खास्त किये जाने के संबंध में कारण बताओ सूचना–पत्र जारी कर तीन दिवस में स्पष्टीकरण चाहा गया

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया द्वारा दिये गये निर्देशानुसार लोकेन्द्र भवन रोड पर कचरा मुक्त स्थल पर 10 नवम्बर को कचरा पाये जाने पर वार्ड दरोगा श्री शरद खरे व श्री किशारे जगराम का एक दिवस का वेतन काटा गया। नगर निगम के कचरा संग्रहण वाहन के ऐसे 4 ड्रायवर जो कि लम्बे समय से बिना सूचना के अनुपस्थित थे उन्हे निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने सेवा से बर्खास्त किया साथ ही 21 नवम्बर को बिना सूचना के अनुपस्थित 2 ड्रायवरों को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया।

नगर निगम के संपत्तिकर विभाग में पूर्व में भवन/भूमि के नामान्तरण आवेदनों को लंबित रखने व आवेदनों का समय–सीमा में निराकरण नहीं किये जाने की शिकायत मिलने व वर्तमान में भी कार्य व्यवस्था में सुधार नहीं होने पर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने संपत्तिकर के समस्त स्टाफ को अन्य विभाग में तथा अन्य विभाग स्टाफ को संपत्तिकर विभाग में पदस्थ किया है।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया द्वारा वार्ड क्रमांक 34 में सफाई व्यवस्था के निरीक्षण के दौरान पोलोग्राउण्ड कचरा मुक्त स्थल पर कचरा पाये जाने व वार्ड क्रमांक 16 में गंदगी पाये जाने पर वार्ड दरोगा श्री शरदचन्द्र खरे व श्री रवि चावरे का एक दिवस का वेतन काटा जाकर कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया। वार्ड दारोगाओं का एक दिवस का वेतन काटा जाकर कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर 24 घन्टे में स्पष्टीकरण चाहा गया है।

इसके अलावा निगम आयुक्त श्री झारिया ने नामांतरण प्रकरण लंबित रखे जाने पर सहायक आयुक्त श्रीमती नीता जैन को संपत्तिकर विभाग से हटाकर आरोप पत्र जारी किया।

28 नवम्बर शनिवार को प्रातः सफाई कार्य के निरीक्षणके दौरान बिना सूचना के अपने कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित 7 कर्मचारियों कीअनुस्थिति दर्ज कर एक दिवस का वेतन काटा जाकर कारण बताओ सूचना पत्रजारी किया गया। 28 नवम्बर शनिवार को वार्ड क्रमांक 8 के 7 सफाई संरक्षक जो कि अनुमति केबिना अपने कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित पाये गये थे उन्हे सेवा से बर्खास्त किय जाने की कार्यवाही किये जाने के निर्देश निगम आयुक्त श्री झारिया ने दिये।

नामांतरण प्रकरण लंबित रखने पर सहायक आयुक्त श्रीमती जैन को आरोप पत्र जारी रतलाम 27 नवम्बर । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने नगर निगम के निलंबित सहायक वर्ग 3 श्री अनिल खरे को विभागीय जांच जारी रखते हुए निलबंन से बहाल करते हुए जन्म–मृत्यु एवं विवाह पंजीयन शाखा में लिपिकीय कार्य हेतु पदस्थ किया है।